सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी': भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रत्रावली संख्या – 161 / 2015 अपील
तारीख दायरा – 15.12.2015
तारीख निर्णय – 04.12.2017

1. श्री देवीलाल पिता रुपलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. श्री मथुरालाल पिता रुपलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
3. श्री पप्पुलाल पिता रुपलाल जी जाट, निवासी सांगा का खेड़ा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी भूरालाल जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. ग्रम पंचायत नमाणा जरिये सरपंच ग्रम पंचायत नमाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

––रेस्पोडन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 15 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 26–09–2015

———

उपस्थितिः–

1. श्री खेमराज डांगी – अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री के.एल. चोरड़िया – अधिवक्ता रेस्पों. संख्या–1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 04.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 15 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 26–06–2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम पंचायत नमाणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 24.12.2004 को अपीलान्ट्स के नाम पर स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील रेस्पों. संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा में पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा ने मृतक खातेदार श्री रुपलाल जाट के वारीसों में रेस्पों. संख्या 1 को श्री रुपलाल जाट की पुत्री होना मानते हुए रेस्पों. संख्या 1 की अपील स्वीकार कर ग्रम पंचायत नमाना द्वारा स्वीकृत राजस्व ग्रम सांगा का खेड़ा का उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित करते हुए मृतक खातेदार रुपलाल के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 26.06.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 14.11.2017 को सुनी गई तथा वकील रेस्पों. संख्या 1 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पों. संख्या 1 ने दिनांक 24.11.2017 को लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट्स को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान में रख कर अधीनस्थ न्यायालय ने कथित निर्णय देने में भारी भूल की है तथा निर्णय में पक्षकारों की उपस्थिति अंकित की गई है जो गलत है। अपीलान्ट्स देवीलाल व अन्य की ओर से अधीनस्थ न्यायालय लोक अदालत में कोई उपस्थित नहीं था, न ही किसी ने कोई स्वीकारोक्ति दी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मर्जी माफिक निर्णय पारित किया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी के विरुद्ध उसे बिना सुने व बिना सूचना दिये कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तथा बिना सूचना दिये व बिना सुने पारित किया गया निर्णय निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दिनांक 24.12.2004 को पारित किया गया जिसकी जानकारी थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में गीता देवी द्वारा अपील मयाद बाहर 10 वर्ष के विलम्ब के पेश की, जिसका कोई पर्याप्त कारण नही बताया गया। जबकि अपील की मयाद 30 दिन ही है। ऐसी अवस्था मे मयाद के बिन्दू पर ही अधीनस्थ न्यायालय का

निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी पैरवी करने हेतु मुकर्रर किए, लेकिन अपीलान्ट्स के अधिवक्ता को भी लोक अदालम नमाणा में पत्रावली रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी, न अपीलान्ट्स के अधिवक्ता लोक अदालत में उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व कानूनी प्रावधानों की पालना किए बिना व अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना पारित किया गया है। अन्त में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 209 बहाल रखाया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट 1 ने लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पों.संख्या 1 मृतक रुपलाल जी की सन्तान होकर सगे भाई बहिन है। रेस्पों. श्रीमती गीता देवी के पिता रुपलाल जी का स्वर्गवास सन् 1967 में हो गया तथा दादाजी का स्वर्गवास बाद में दिनांक 12.08.1997 को हुआ। तथा सजरे में वर्णित रुपलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी देवीलाल, मथुरालाल, पप्पु उर्फ कालुलाल पुत्र एवं रेस्पोडेन्ट श्रीमती गीता देवी पुत्री है। अपीलान्ट्स व रेस्पो. संख्या 1 मृतक श्री रुपलाल के विधिक वारिसान है जो हिन्दू विधि विधान से शोषित होने के कारण रेस्पों.संख्या 1 एवं अपीलान्ट्स का मृतक रुपलाल जी की वादग्रस्त कृषि भूमि में जन्म से ही हित एवं अधिकार है जिससे उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश किये जाने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर मृतक रुपलाल जी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जान का आदेश विधि सम्मत होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का कथन किया गया। अन्त में अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2012(2) पेज 915, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 936 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। ग्रम पंचायत नमाणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 24.12.2004 को अपीलान्ट्स के नाम पर स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील रेस्पों. संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा में पेश की गई। यह तथ्य सही है कि उपखण्ड़ अधिकारी नाथद्वारा ने अपीलान्ट्स एवं अपीलान्ट्स के अधिवक्ता को लोक

अदालत नमाणा में पत्रावली रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी, न अपीलान्ट्स के अधिवक्ता लोक अदालत में उपस्थित हुए है।अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम आदेशिका दिनांक 27.04.2015 में पत्रावली बहस में होकर दिनांक 22.07.2015 आगामी पेशी नियत की गई थी, किन्तु दिनांक 26.06.2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में न्याय आपके द्वारा 2015 केम्प नमाना में रख कर पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज की जाकर पत्रावली फैसल कर दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पक्षकारों को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व कानूनी प्रावधानों की पालना किए बिना व अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना पारित किया गया है। जिससे हम प्रकरण को पुनः पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर विधि सम्मत नये सिरे से निर्णय पारित करें।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर